

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार  
जरिये पटवार हल्का, टापरवाड़ा

बहक श्री खिरवमाराम  
पुत्र श्री चुनाराम  
जाति मेघवाब नि निम्बोला  
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 23 / 2017

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 502  
रकबा 0.1100 हैक्टर किरम सिवायचक (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ में श्री खिरवमाराम  
पुत्र श्री चुनाराम जाति मेघवाब निवासी निम्बोला (जिसे  
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा मकान बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण  
दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया  
गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। जवाब शामिल पत्रावली

किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला  
ख.न. 502 रकबा 0.1100 किरम सिवायचक पर फसल खरीफ में बिना विधिक  
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मकान-बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये  
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 31 प्रति हे. का 50 गुणा रूपया 1.65 रु. प्रति 2.00 रु.  
(रूपये दो रूपये कुमना) शास्ति  
कायम की जाती है।

निर्णय की  
क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़  
एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास  
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)  
जिला-नागौर (राज०)